

प्रेषक,

आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
महोदय,

लखनऊ/दिनांक- 01/05/2024

उत्तर प्रदेश राज्य कर सेवा संघ के पत्र संख्या-80 दिनांक 04.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 30प्र0 राज्य कर सेवा संघ की प्रस्तावित वार्षिक आम सभा के लिए दिनांक 20.06.2024 व 21.06.2024 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि संघ के उक्त वार्षिक बैठक में सम्मिलित होने के इच्छुक सदस्यों (अधिकारी जो इस संघ के घोषित सदस्य हैं) को 02 दिन अर्थात् दिनांक 20.06.2024 व 21.06.2024 के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें बैठक में सम्मिलित होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

2- उपरोक्त संघ के ऐसे सदस्यों को जो सेवा से निलम्बित अथवा निष्कासित है अथवा अब उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा संघ के सदस्य नहीं रहे हैं, को उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उक्त अवकाश स्वीकृत करने में यह भी ध्यान रखा जाये कि इन अवधियों में अवकाश के कारण राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

3- इस आशय की सूचना अपने जोन में कार्यरत एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्य अधिकारियों को भी दे दें और इस आशय की प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दें।

4- उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-11/1ईएम/2011-का-4-2014 दिनांक 30.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त पत्र आयुक्त राज्य कर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-विशेष सचिव राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण 30प्र0 लखनऊ।
- 3-अध्यक्ष/महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य कर सेवा संघ।
- 4-समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5-संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
- 7-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 8-समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ राज्य कर अधिकारी राज्य कर 30प्र0।
- 9-मैनुअल/सेन्ट्रल रिकार्ड, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
- 10-स्था-01/स्था-02 पटल को 10 अतिरिक्त प्रतियां।

As
07/05/24
D-G (ITC)
07/05/24

503

अपर आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।